=

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0–01, सेक्टर–नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

अंतिम नोटिस

पत्रांक: स्वा0वि0/2019/ 353

दिनांक: 24/06/2019

सेवा में,

____

____

____

विषय:– ग्रेटर नौएडा में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2016 के नियमों की अनुपालना के क्रम में अंतिम नोटिस।

उपरोक्त के क्रम में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.03.2018 को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जारी सूचना "ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण परिक्षेत्र में आने वाले समस्त भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक **(औसतन 100 किलो ग्राम प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादन करने वाले उत्सर्जन करने वाले अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली ईकाइयां)** जैसे सरकारी विभाग अथवा उपक्रम, राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थायें, छात्रावास, होटल, वाणिज्यिक संस्थायें, बाज़ार, पूजा स्थल, स्टेडियम और खेल परिसर एवं आर0डब्ल्यू0ए0/ए.ओ.ए. को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के 3 (तीन) माह के भीतर अपने–अपने स्तर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2016 के उपनियम 3(8), (44), 4(1-a), (6), (7) & (8) के अनुपालन में अपने जनित अपशिष्ट को पृथक–पृथक करके जैविक अपशिष्ट/ ठोस अपशिष्ट को अपने स्तर पर ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रबन्धन एवं निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त नियम का उल्लंघन पाये जाने पर Bulk Waste Generators के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–15 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस Bulk Waste Generators की स्वयं की होगी"

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपको अधिसूचना का पालन प्रभावी ढंग से करने हेतु पूर्व में भी पत्रांक: स्वा0वि0/2018/926, दि0 31.12.2018 के माध्यम से नोटिस दिया गया था।

उपरोक्तानुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2016 नियमों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त नियमों में आर.डब्लू.ए./बल्क वेस्ट जनरेटर्स के निम्न दायित्व निर्धारित हैं:–

— यह कि सोसाइटी/ईकाई परिसर में उत्पन्न होने वाले कचरे गीले, सूखे एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को अलग–अलग कूड़ेदानों में एकत्र करें।

— यह कि सोसाइटी/ईकाई परिसर में जनित गीले कचरे का उचित निस्तारण कर कंपोस्ट, बायोगैस इत्यादि तैयार करें जिससे कि उसका पुनः उपयोग किया जा सके।

Scanned by CamScanner

— यह कि सूखे कूड़े, खतरनाक घरेलू अपशिष्ठ एवं ई–वेस्ट को पृथक–पृथक कर स्वयं के श्रोतों से निष्पादन करें।

— यह कि सोसाइटी/ईकाई परिसर के अंदर बागवानी से सम्बन्धित जनित कचरे को परिसर में ही वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारित करें।

— यह कि सोसाइटी/ईकाई परिसर के अंदर भवन निर्माण इत्यादि से सम्बन्धित कचरे को अलग से एकत्र करें एवं उसका निपटान निर्माण एवं विध्वंश प्रबंधन नियम–2016 (Construction and Demolition Waste Management Rule 2016) के अनुसार करें।

उक्त दायित्वों के निर्वहन हेतु आर.डब्लू.ए. द्वारा निम्न प्रकार कार्यवाही की जा सकती है:–

— आर0डब्ल्यू0ए0/भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादनकर्ता जैविक अपशिष्ट से कंपोस्ट तैयार करने हेतु उपयोग में आने वाली मशीन को क्रय कर सकते हैं।

— साथ ही सेनेट्री नेपकिन्स तथा डाइपर्स का निस्तारण सोसाइटी/ईकाई परिसर में इंन्सिनर्एटर लगाकर करें।

— सूखे कूड़े, खतरनाक घरेलू अपशिष्ट एवं भवन निर्माण से संबंधित कचरे का सोसाइटी/ईकाई परिसर स्तर पर निस्तारित न होने की दशा में कचरे को प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेन्सी को उपलब्ध कराया जा सकता है, जिस हेतु प्राणिकरण द्वारा निर्धारित **उपभोग शुल्क (यूजर फीस)** देय होगा।

अग्रतर आपको अवगत कराना है कि प्राधिकरण आपके स्थल से केवल नियमानुसार आपके द्वारा निस्तारित किये गये अपशिष्ठ की निष्क्रिय सामग्री (Inert Material) का ही परिवहन एक निश्चित स्थान से सुनिश्चित करेगा। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को अपशिष्ट अनधिकृत स्थल पर डाले जाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

यदि किसी बल्क वेस्ट जनरेटर्स (भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक) द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उल्लंघनकर्ता की होगी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से अपने परिसर के अंतर्गत आने वाले अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं को उक्त आदेश से सूचित कराकर प्रश्नगत निर्देशों का अनुपालन किया जाना एवं **दिनांक 15 जुलाई 2019 तक अपने परिसर में जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें।** इसके उपरान्त ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा आपके परिसर से किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का उठान एवं परिवहन नहीं किया जायेगा, यदि आपके द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो आपकी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

24/06/19

वरिष्ठ प्रबंधक (स्वास्थ्य)

Scanned by CamScanner